क्रमांक 1259-5 जी0एस0-1-74/13840

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक चण्डीगढ़, 13 जून, 1974 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1507-5 जी0एस0-1-73/8724, दिनांक 30 मार्च, 1973 तथा 3049-5 जी0एस0-1-73/14393 दिनांक 5 जून, 1973 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिनमें कि यह कहा गया था कि श्रेणी तीन के पदों पर काम कर रहे उन कर्मचारियों को जिनके वेतनमान लिपिकों के वेतनमान से कम हैं या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो अपनी योग्यताएं बढ़ा लेते हैं और जिनका काम तथा आचरण संतोषजनक हो, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जायें जिसके लिए हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 30 मार्च, 1973 में कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं ।

2. इस बारे में कुछ विभागों द्वारा कई प्रश्न उठाये गये हैं जिन्हें कि जांचा गया है तथा उनके बारे में स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जाती है :—

1. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसे श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नति तीन वरिष्ठ कर्मचारियों का सलैब बनाकर सीनियोरेटी-कम-मैरिट के आधार पर की जाये ।

   इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति सीनियोरेटी-कम-फिटनैस के आधार पर की जानी है जिसका अर्थ यह कि यदि उनका सेवा रिकार्ड ठीक है और वह पदोन्नति के लिये निर्धारित योग्यतायें रखते हैं तो उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है और ऐसा करने के लिये तीन वरिष्ठ कर्मचारियों का सलैब बनाने की आवश्यक्ता नहीं है ।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे श्रेणी-3 तथा 4 के कर्मचारियों को किस प्रतिशत के आधार पर लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जाये । संदर्भित पत्र में यह पहले ही बताया जा चुका है कि जितने प्रतिशत पद इन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं उनकी व्यवस्था विभागीय सेवा नियमों में कर ली जायें । इस मामले पर आगे विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि यदि पहले नियमों में प्रोमोशन द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है तो इसे 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाये ।

3. यह प्रश्न उठाया गया है कि जहां किसी ऐसे कर्मचारी ने सेवा में आने के पश्चात दसवीं पास की हो तो क्या यह जरूरी है कि पदोन्नति के योग्य बनाने के लिए यह दसवीं पास करने के बाद ऐसे पद पर कम से कम दो वर्ष के लिए काम करे या कि दसवीं पास करने से पहले की गई सेवा को भी अनुभव के लिये गिना जा सकता है ।

5 साल के अनुभव की शर्त लागू होगी । इस बारे में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वह 5 वर्ष की सेवा का अनुभव दसवीं पास करने के पहले का हो तो भी पदोन्नति दी जा सकती है ।

4. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या सेवा नियमों में संशोधन करने से पूर्व श्रेणी–4 के कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है या नहीं ।

इस बारे में हरियाणा सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 30 मार्च, 1973 के पैरा–2 में हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि लिपिकों के पद पर श्रेणी–4 या श्रेणी–3 के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में विभाग अपने सेवा नियमों में उपबन्ध कर लें यदि पहले ऐसा न किया गया हो। जहां विभागों के सेवा नियमों में पहले ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो कि ऐसे श्रेणी–3 या श्रेणी–4 के कर्मचारियों की लिपिक के पद पर पदोन्नति के विरुद्ध है तो इन हिदायतों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को सेवा नियमों में संशोधन करने से पहले ही पदोन्नत किया जा सकता है। जहां सेवा नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था है जैसे कि क्लर्क के पद केवल सीधी भर्ती से ही भरे जा सकते हैं या उन पर केवल रैस्टोरर ही पदोन्नत किये जा सकते हैं आदि वह कार्यवाही करने से पहले सेवा नियमों में संशोधन किया जाना होगा ।

5. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या संदर्भित 30 मार्च, 1973 की हिदायतों का फायदा उन कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है जिन्होंने सेवा में आने से पहले ही मैट्रिक पास कर लिया हो ।

इस संबंध में विचार किया गया है । यद्यपि 30–3–73 की हिदायतों में योग्यतायें improve करने वाली बात का जिकर किया गया है परन्तु ऐसे कर्मचारियों, जो सेवा में आने से पहले ही मैट्रिक पास कर चुके थे, के साथ discrimination बचाने के लिये यह फैसला किया गया है कि इन हिदायतों का फायदा उन कर्मचारियों को भी दिया जाये जो सेवामें आने से पहले ही मैट्रिक पास कर चुके हैं ।

भवदीय,
हस्ता0
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवायें,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।